बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
India's International Bank | 119 FOUNDATION YEAR

क्षेत्रीय तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा–पूर्वी दिल्ली
प्रथम तल, 8718, डी.बी. गुप्ता रोड, राम नगर, पहाड़गंज, नई दिल्ली – 110055, भारत
ई–मेलः saredl@bankofbaroda.co.in

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस, परिशिष्ट–**IV-A** [नियम **8 (6)** देखें]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन

आम लोगों को और विशेष रूप से कर्जदार(रों), बंधककर्ता(ओं) और गारंटर(रों) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का **कब्जा**, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदार(रों), बंधककर्ता(ओं) और गारंटर(रों) को प्रत्याभूत – दाता बैंक ऑफ बड़ौदा से – प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे वर्णित दिनांक को बेचा जाएगा। कर्जदार(रों), बंधककर्ता(ओं) और गारंटर(रों)/प्रतिभूति आस्तियां/बकाया/आरक्षित मूल्य/ई–नीलामी की तिथि एवं समय, ईएमडी और बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया है

क्र. सं.	कर्जदार्स/गारंटर्स/बंधककर्ताओं का नाम एवं पता	ज्ञात भार के साथ अचल संपत्ति का विवरण, यदि कोई हो (बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा बंधक)	कुल बकाया	ई–नीलामी की तिथि /समय प्रारंभ समय से अंतिम समय तक	1. आरक्षित मूल्य 2. जमा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. 3. न्यूनतम बोली वृद्धि राशि रु.	कब्जा की स्थिति (रचनात्मक/ भौतिक)	निरीक्षण की तिथि एवं समय
1	**मैसर्स संगम सीमेंट स्टोर (उधारकर्ता)** **प्रोपराइटरः श्री हबीबुर रहमान पुत्र श्री अब्बास अली** **पताः** एनएच–24, बस स्टैंड, मसूरी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201302 **श्री फजिउर रहमान पुत्र श्री अब्बास अली (गारंटर)** **पताः** मकान नंबर 51, मोहल्ला – नालीपाड़ा, ग्राम – मसूरी, परगना – डासना, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201302	मकान नंबर 51, मोहल्ला – नालीपाड़ा, गांव – मसूरी, परगना – डासना, गाजियाबाद, (उत्तर प्रदेश) – 201302 में स्थित आवासीय संपत्ति का समस्त भाग एवं पार्सल, जिसका क्षेत्रफल 200.67 वर्ग मीटर है तथा जो श्री हबीबुर रहमान, पुत्र श्री अब्बास अली के नाम पर है। संपत्ति की सीमाएँ निम्नानुसार हैं: **उत्तरः** अन्य की संपत्ति **दक्षिणः** अन्य की संपत्ति **पूर्वः** अन्य की संपत्ति **पश्चिमः** 20 फीट चौड़ी सड़क	रू. **30,62,223.79 (तीस लाख बासठ हजार दो सौ तेईस रुपये और उन्यासी पैसे)** के साथ–साथ भविष्य का ब्याज और अन्य लागतें, शुल्क व खर्चय जो NPA की तारीख यानी **25.07.2015** से लेकर वसूली की तारीख तक लागू होंगे।	**09.12.2026 अपराह्न 02.00 बजे से सांय 06.00 बजे तक**	आरक्षित मूल्य रु. **77,43,600.00/-** ईएमडी रु. **7,74,360.00/-** और बोली वृद्धि राशि रु. **1,00,000.00/-**	**संपत्ति सांकेतिक कब्जे में है और बैंक संपत्ति को सांकेतिक रूप से नीलामी क्रेता को सौंप देगा**	**08.12.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक**

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया बैंक की वेबसाइट **https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm** तथा **https://baanknet.com.** पर उपलब्ध लिंक को देखें।
इच्छुक बोलीदाता अधिक जानकारी के लिए प्राधिकृत अधिकारी श्री सरोज कुमार से मोबाइल नं. 7043249474 पर संपर्क करें।

दिनांक : 15-10-2026, स्थान : दिल्ली — **प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा**

बैंक ऑफ इंडिया
Bank of India
अशोक विहार शाखा
नई दिल्ली ज़ोन, शाखा कोड 6031
सी 2/21, फेज़ II, अशोक विहार शाखा, दिल्ली–110052
फ़ोन नंबर – 011–44121904
ई–मेल – Ashok Vihar.NewDelhi@bankofindia.co.in

कूरियर/रजिस्टर्ड पोस्ट ए/ड़ी द्वारा

संदर्भ संख्याः AV/NPA/ADV/2026-27/1007 **दिनांकः 12.10.2026**

सेवा में,
1. श्री विजय चौहान, पुत्र श्री चेत राम चौहान
पताः फ़्लैट 702, 7वीं मंज़िल, ब्लॉक बी , पैकेट 1बी , सेक्टर ए 1–ए 4, हिंद अपार्टमेंट, नरेला, नई दिल्ली 110040
महोदय/महोदया

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन की धारा 13(2) के तहत नोटिस

1. आपके अनुरोध पर, बैंक ने अपनी अशोक विहार शाखा में, श्री विजय चौहान (पिताः श्री चेत राम चौहान) के नाम पर कुल 6,60,000/– रुपये की विभिन्न क्रेडिट सीमाएं मंजूर की हैं। हमारे द्वारा दी गई विभिन्न क्रेडिट सुविधाओं और नोटिस की तारीख तक उन पर बकाया राशि का विवरण नीचे दिया गया है:–

सुविधा की प्रकृति	स्वीकृत सीमा	12.10.2026 तक लेजर में बकाया राशि
वाहन ऋण	6,60,000/– रुपये	6,74,158.30/– रुपये + 10.09.2026 से लागू ब्याज
कुल / अधिकतम सीमा	6,60,000/– रुपये	6,74,158.30/– रुपये + 10.09.2026 से लागू ब्याज

2. बैंक द्वारा दी गई उपरोक्त क्रेडिट सुविधाएं निम्नलिखित संपत्तियों/प्रतिभूतियों द्वारा सुरक्षित हैं:
ए. श्री विजय चौहान (पिताः श्री चेत राम चौहान) के नाम पर "स्विफ्ट (ZXI) पेट्रोल" (रंगः पर्ल मेट आर्कटिक व्हाइट) वाहन का हाइपोथेकेशन (गिरवी रखा जाना)।
वाहन का विवरणः
वाहन का रंगः पर्ल मेट आर्कटिक व्हाइट
वाहन का इंजन नंबरः 1491692
वाहन का चेसिस नंबरः MBHZCDESKTE597471
पंजीकरण नंबरः DL8CBM2150
3. चूंकि आप उक्त उधार सुविधाओं के तहत बैंक को उसकी बकाया देयराशियों का प्रतिभुगतान करने में चूक कर चुके हैं अतएव हमने आपके खाता को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुपालन में 08.10.2026 से प्रभावी अनिष्पादनीय परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया है।
4. उपरोक्त वर्णित कारणों के लिए, हम एतद्द्वारा आपको उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचित करते हैं और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर, बैंक को 6,74,158.30 रुपये का भुगतान करके अपने वाहन ऋण खाते की पूरी देनदारी चुका दें। इस राशि पर वार्षिक BOIRBLR (जो वर्तमान में 8.55% प्रति वर्ष है) से 0.20% अधिक की दर से ब्याज लगेगा, जिसकी गणना मासिक आधार पर की जाएगी। इसके साथ ही 2% का दंड ब्याज और बैंक द्वारा उठाए गए सभी खर्च व शुल्क भी आपको चुकाने होंगे। यह भुगतान तब तक जारी रहेगा जब तक कि आप पूरी राशि का भुगतान नहीं कर देते।, भुगतान करके अपने भुगतान–दायित्वों का पूर्ण निर्वहन करने को कहते हैं। ऐसा न होने पर कृपया ध्यान दें कि हम पूरी तरह से आपके जोखिम पर, लागत और परिणाम के रूप में, ऊपर उल्लिखित सुरक्षित परिसंपत्तियों के खिलाफ वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 के तहत बैंक में निहित शक्तियों का प्रयोग करेंगे।
5. जब हम आपको, ऊपर वर्णित अवधि के अंदर, उपरोक्तानुसार प्रतिभुगतान होने तक बैंक द्वारा उपगत समस्त लागतों, प्रभारों व व्ययों और लागू ब्याज के साथ बैंक को देय–भुगतेय संपूर्ण देयराशियों का भुगतान करके अपने भुगतान–दायित्व का निर्वहन करने और प्रतिभूत परिसंपत्तियों का मोचन करने को कहते हैं, तो कृपया इस महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दें कि इसका तात्पर्य सरफ़ाएसि अधिनियम की धारा 13(8) के अनुसार सुरक्षित परिसंपत्तियों के मोचन का अधिकार आपको केवल सार्वजनिक नीलामी के लिए नोटिस के प्रकाशन की तिथि तक या सुरक्षित परिसंपत्तियों के पट्टे, असाइनमेंट या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण के लिए सार्वजनिक या निजी संधि से उद्धरण या निविदा आमंत्रित करने की तिथि तक ही उपलब्ध होगा।
6. ऊपर वर्णित शक्तियों का प्रयोग करने से प्राप्त हुई राशि सर्वप्रथम का अनुप्रयुक्तिकरण हमारे द्वारा उपगत समस्त लागतों, प्रभारों एवं व्ययों तथा/अथवा उनसे संबंधित किसी आकस्मिक व्यय के लिए होगा, और द्वितीय रूप में इस सूचना की तिथि से लेकर के वास्तविक वसूली की तिथि तक संविदात्मक ब्याज के साथ उपरोक्तानुसार बैंक की देयराशियों के लिए होगा, और बैंक की संपूर्ण देयराशियों (उधारकर्ता अथवा गारंटर के रूप में बैंक हेतु देय–भुगतेय आपके किसी अन्य देय के अंतर्गत सम्मिलित) की पूर्ण वसूली होने के उपरांत निकलनेवाली रकम की शेष राशि, यदि कोई, का भुगतान आपको कर दिया जाएगा।
7. यदि उक्त देयराशियों की, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विरुद्ध उक्त शक्तियों के प्रयोग की अवधि में वसूली गई प्राप्तियों से, पूरी तरह वसूली नहीं की जाती है, तो हमारे पास आपके और आपकी अन्य परिसंपत्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसमें ऋण वसूली अधिकरण/न्यायालयों के सम्मुख विधिक/वसूली की कार्रवाइयां दर्ज करना सम्मिलित होगा, जो कि आपसे समस्त लागतों इत्यादि और उससे संबंधित आकस्मिक व्यय के साथ शेष बकाया राशि की वसूली के लिए किया जाएगा।
8. कृपया ध्यान दें कि, इस सूचना की प्राप्ति के उपरांत, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (13) के अनुसार, आपको उपर्युक्त परिसंपत्तियों को विक्रय, पट्टा, अनुज्ञप्ति यानी लाइसेंस, उपहार, बंधक के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरित करने या उन पर कोई भारग्रस्तता सृजित करने से प्रतिबंधित किया जाता है।
9. अधोहस्ताक्षरकर्ता जो हैं वो इस सूचना को निर्गत करने और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बैंक के एक विधिवत प्राधिकृत अधिकारी हैं।
10. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह सूचना आपको बैंक के पास उपलब्ध किसी अन्य अधिकार या उपचार के पूर्वाग्रह के बिना संबोधित है।

भवदीय,
दिनांक : 12.10.2026 **अधिकृत अधिकारी,**
स्थान : दिल्ली **मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया**

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
...भरोसे का प्रतीक ! ...the name you can BANK upon !

शेयर विभाग, बोर्ड एवं समन्वय प्रभाग
प्लॉट नंबर 4, द्वारका सेक्टर–10, नई दिल्ली–110075
ईमेल आईडी : hosd@pnb.bank.in

भौतिक प्रतिभूतियों के अंतरण तथा विभौतिकरण (DEMATERIALIZATION) हेतु विशेष विंडो

सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/38/13/11(2)2026–एमआईआरएसडी–पीओडी/I/3750/2026 दिनांक 30 जनवरी, 2026 के अनुसरण में, सभी शेयरधारकों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि 1 अप्रैल, 2019 से पूर्व क्रय/विक्रय की गई भौतिक प्रतिभूतियों के अंतरण तथा डीमैटरियलाइजेशन ("डीमैट") की सुविधा के लिए **05 फरवरी, 2026 से 04 फरवरी, 2027 तक** एक वर्ष की अवधि के लिए विशेष विंडो खोली गई है।

विशेष विंडो ऐसे अंतरण अनुरोधों के लिए भी उपलब्ध होगी जो पूर्व में जमा किए गए थे और जिन्हें दस्तावेजों/प्रक्रिया/अन्य अभावों के कारण अस्वीकृत/वापस किया/विचार नहीं किया गया था।

अंतरण अनुरोधों को पुनः दर्ज करने वाले निवेशकों के पास एक सक्रिय/केवाईसी अनुपालित डीमैट खाता होना चाहिए तथा उन्हें अंतरण दस्तावेजों एवं शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) के साथ उनके क्लाइंट मास्टर लिस्ट ("सीएमएल") को अवश्य उपलब्ध करानी होगी। ऐसे अंतरण–सह–डीमैट अनुरोधों के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

संबंधित निवेशक आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना अनुरोध अधिकतम 04 फरवरी, 2027 तक बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के पास जमा कर सकते हैं। आरटीए का विवरण इस प्रकार है:

कैफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
यूनिटः पंजाब नैशनल बैंक, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31 एवं 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद–500032
ईमेलः einward.ris@kfintech.com, **टोल फ्रीः** 1800 309 4001
वेबसाइट : www.kfintech.com

जिन प्रतिभूतियों को अंतरण के लिए पुनः जमा किया जाना है, उन्हें आरटीए द्वारा सभी दस्तावेजों के नियमानुकूल पाए जाने के बाद केवल डीमैट मोड में ही जारी किया जाएगा।

04 फरवरी, 2027 के पश्चात जमा किए गए अंतरण अनुरोध बैंक/आरटीए द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

कृते पंजाब नैशनल बैंक
हस्ता/–
(बिक्रमजित सोम)
कंपनी सचिव

दिनांक : 16.10.2026
स्थान: नई दिल्ली

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम | सिंडिकेट Syndicate

क्षेत्रीय कार्यालय–अलीगढ़ — **ई–नीलामी सूचना**

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से ऋणी(यों)/जमानतकर्ता(ओं) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो केनरा बैंक के पास गिरवी/प्रभारित है, का भौतिक/सांकेतिक कब्जा केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है"** के आधार पर नियम 13(2) के अन्तर्गत माँग सूचना वर्णित बकाया राशि एवं उस पर ब्याज, खर्चे एवं अन्य व्ययों की वसूली हेतु विक्रय की जाएगी। सम्पत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है।

ऋणियों एवं गारंटर के नाम व पते	मांग नोटिस अनुसार बकाया राशि ₹	सम्पत्तियों का विवरण	कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य धरोहर राशि 10% ₹
शाखाः सिकन्दरा राऊ, फोन : 9717305122, ई–मेलः cb0195@canarabank.com				
ऋणी/बंधककर्ता– 1- मेसर्स लक्ष्मी ट्रेडर्स, प्रोप.- श्री सीता राम अग्रवाल, पता- जी.टी. रोड, सिकंदराराऊ, हाथरस, कानूनी उत्तराधिकारी स्व. सीताराम अग्रवाल- सुश्री अंजलि अग्रवाल पुत्री सीताराम अग्रवाल, श्री मनोज अग्रवाल अग्रवाल पुत्र सीताराम अग्रवाल, गारंटर/बंधककर्ता/कानूनी उत्तराधिकारी स्व. सीताराम अग्रवाल- श्री अंकित अग्रवाल पुत्र सीताराम अग्रवाल, श्रीमती नियति अग्रवाल पत्नी श्री दिलीप अग्रवाल, श्री दिलीप अग्रवाल पुत्र सीताराम अग्रवाल, सभी का पता- ए वी एन गेट बैंड कॉलोनी, नगला शीशगढ़, कासगंज रोड, सिकंदराराऊ, हाथरस **बिक्री सचना पत्र दिनांकः 13.10.2026**	**46,29,786.88** दि. 16-03-2026 + ब्याज व अन्य खर्चे	1. आवासीय भूमि एवं भवन स्थित खसरा नं. 1845 मि (भाग) ए वी एन कॉलोनी नगला शीशगढ़ कासगंज रोड सिकंदरा राव, एरिया- 93-93 वर्ग मीटर, संपत्ति श्री अंकित अग्रवाल पुत्र सीताराम अग्रवाल के नाम पर, चौहद्दी: पूर्व- बाउन्ड्री, पश्चिम- श्री पदम सिंह की भूमि, उत्तर- शर्मा जी का प्लॉट, दक्षिण- रास्ता 25 फीट चौड़ा संपत्ति विवरण 2. आवासीय भूमि एवं भवन स्थित खसरा नं. 1845 मि (भाग) ए वी एन कॉलोनी नगला शीशगढ़ कासगंज रोड सिकंदरा राव, एरिया- 93-93 वर्ग मीटर, संपत्ति श्री नियति अग्रवाल पत्नी दिलीप अग्रवाल के नाम पर, चौहद्दी: पूर्व- अंकित अग्रवाल का प्लॉट, पश्चिम- श्री राम बाबू की भूमि, उत्तर- शर्मा जी का प्लॉट, दक्षिण- रास्ता 25 फीट चौड़ा	सांकेतिक	**68,65,000/-** **6,86,000/-**

ई–ऑक्शन का दिनांक व समय : 31.10.2026 सुबहः 11.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट की अवधि के विस्तार के साथ नीलामी की समाप्ति तक)

ईएमडी राशि मेसर्स पीएसबी अलायंस प्राइवेट लिमिटेड (Baanknet) पोर्टल के ई–वॉलेट में सीधे जमा की जानी है या चालान बनाकर आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से ईएमडी को चालान में उल्लिखित खाता विवरण में दिनांक 30.10.2026 से पहले जमा करना है।

नोटः 1, बिड/बाद की राशि पर कोई भी ब्याज का दावा नहीं किया जायेगा। 2, प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर बोली रद्द करने का हकदार है। 3, परिवहन, स्टांप शुल्क/जीएसटी पंजीकरण शुल्क आदि के सभी शुल्क, जो लागू हों, केवल सफल बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।
बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों तथा ई–नीलामी में भाग लेने के लिए, कृपया वेबसाइट https://baanknet.com/ या केनरा बैंक की वेबसाइट देखें या वसूली अनुभाग क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ केनरा बैंक (मोबाइल 8265900558 ई–मेल आईडी recroaligarh@canarabank.com) या सेवा प्रदाता मेसर्स पीएसबी अलायंस लिमिटेड (Baanknet) संपर्क विवरण से संपर्क करें अ) करण मोदी (7016716557, karan@procure247.com) ब) वासु पटेल (9510974587, vasu.patel@procure247.com)

स्थान : अलीगढ़ **दिनांक : 17–10–2026** **प्राधिकृत अधिकारी**

कार्यालय वसूली अधिकारी–।।
ऋण वसूली अधिकरण–।।, दिल्ली
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिलली–110001

R.C. No. 138/2024 — आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के प्रावधानों के तहत — दिनांक : 13.10.2026

ई–निलामी बिक्री सूचना

पंजाब नेशनल बैंक बनाम श्री निर्मल सिंह सचदेवा
"आदेश"

दिनांक 13.10.2026 के आदेशानुसार निम्नांकित सम्पत्ति की सार्वजनिक ई–नीलामी दिनांक 02.12.2026 उल्लेखित ऋण वसूली प्रमाण पत्र में नीलामी बिक्री वेबसाइट https://baanknet.com के माध्यम से "ऑनलाइन ई–नीलामी" होगी
ई–नीलामी की तिथि व समयः 02–12–2026 को प्रातः 11.00 बजे से अपरा. 12.00 बजे के बीच (अपरा. 12.00 बजे के बाद 5 मिनट प्रत्येक की अवधि के विस्तार के साथ, यदि अपेक्षित है)

संपत्ति का विवरण

लॉट सं.	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु. में)	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) (रु. में)
1.	फ्लैट नंबर टी–2/ए–1–419, 19वीं मंजिल, टावर–2, एनसीआर मोनार्क, प्लॉट नंबर जीएच–02/सी, सेक्टर–1, ग्रेटर नोएडा वेस्ट।	₹ 68,00,000/-	₹ 6,80,000/-
2.	फ्लैट नंबर टी–2/ए–1–519, 19वीं मंजिल, टावर–2, एनसीआर मोनार्क, प्लॉट नंबर जीएच–02/सी, सेक्टर–1, ग्रेटर नोएडा वेस्ट।	₹ 68,00,000/-	₹ 68,00,000/-

नियम व शर्तें

1. इस विक्रय को नियंत्रित करने वाले नियम एवं शर्तें इस सूचना में तथा वसूली अधिकारी द्वारा जारी विक्रय उद्घोषणा में वर्णित अनुसार होंगी। नीलामी एवं बोली प्रक्रिया केवल ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वेबसाइट **https://baanknet.com** के द्वारा ही संपन्न की जाएगी। सम्भावित बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण, उपयोगकर्ता पहचान संख्या तथा बोली प्रक्रिया संबंधी परिचालन विवरण हेतु बैंकनेट पोर्टल का अवलोकन करें।
2. इच्छुक बोलीदाताओं को **ई–नीलामी** में भाग लेने के लिए सेवा प्रदाता के साथ पर्याप्त पूर्व में अपना पंजीकरण कराकर उपयोगकर्ता पहचान संख्या तथा कूटशब्द प्राप्त करना होगा। यह केवल तब प्राप्त किया जा सकेगा जब निर्धारित विधि से अपेक्षित बयाना धनराशि जमा कर दी गई हो।
3. बयाना धनराशि निर्धारित विधि के अनुसार बैंकनेट पोर्टल के माध्यम से दिनांक **30.11.2026** को अपराह्न **04:00** बजे तक जमा की जाएगी। बैंकनेट पोर्टल, संबंधित बैंक के समन्वय से, समस्त इच्छुक बोलीदाताओं की सूची आवश्यक विवरण सहित आवश्यक अनुमोदन हेतु दिनांक **01.12.2026** को अपराह्न **04:00** बजे तक वसूली अधिकारी को अग्रेषित करेगा। नीलामी के संचालन से संबंधित सभी मामलों में आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के उपबंध तथा वसूली अधिकारी के निर्देश, बैंकनेट पोर्टल के नियम एवं शर्तों पर प्रभावी होंगे। पंजीकरण, उपयोगकर्ता पहचान संख्या तथा बोली प्रक्रिया संबंधी परिचालन विवरण के लिए इच्छुक बोलीदाता बैंकनेट पोर्टल का अवलोकन कर सकते हैं अथवा यहाँ उल्लिखित सहायता डूरभाष क्रमांकों पर पोर्टल से संपर्क कर सकते हैं।
4. स्थायी खाता संख्या कार्ड की प्रति, पते का प्रमाण, पहचान का प्रमाण, ई–मेल पता, मोबाइल संख्या तथा यह घोषणा कि वे स्वयं की ओर से बोली लगा रहे हैं अथवा अपने प्रधान की ओर से। बाद की स्थिति में, उन्हें अपना प्राधिकार–पत्र जमा करना होगा, अन्यथा उनकी बोलियाँ अस्वीकार कर दी जाएँगी। कंपनी के नामले में, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति अथवा कंपनी के प्रतिनिधित्व/मुख्तारनामा की पुष्टि करने वाला कोई अन्य दस्तावेज तथा ऐसी जमा की रसीद/प्रति दिनांक **01.12.2026** को अपरा **04:00** बजे तक उक्त सेवा प्रदाता अथवा सीएच बैंक को ई–मेल अथवा अन्य किसी माध्यम से प्राप्त हो जानी चाहिए तथा उसकी हार्ड प्रति वसूली अधिकारी–।।, ऋण वसूली अधिकरण–।।, दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
5. भावी बोलीदाता सेवा प्रदाता से ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। ई–नीलामी एवं बोली प्रक्रिया बैंकनेट (बैंक परिसंपत्ति नीलामी नेटवर्क) ई–नीलामी पोर्टल **https://baanknet.com** के माध्यम से संपन्न की जाएगी, जिसका संचालन पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाता है। वेबसाइटः **https://baanknet.com** ई–मेल पताः **support.baanknet@psballiance.com** संपर्क व्यक्ति : श्री कश्यप पटेल, मोबाइल नं. **9327493060**, सहायता संपर्क संख्याः **+918291220220** एवं श्री उदय जाधव, प्राधिकृत अधिकारी, बैंकनेट, मोबाइल नंबर 9820878255, पताः मैसर्स पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट 1, तृतीय तल, वीआईओएस कमर्शियल टॉवर, वडाला ट्रक टर्मिनल के निकट, वडाला (पूर्व), मुंबई – 400034
6. संपत्ति निरीक्षण हेतु इच्छुक बोलीदाताओं के लिए दिनांक **19.11.2026** एवं **20.11.2026** को प्रातः **11.00** बजे से अपराह्न **4.00** बजे तक खुली रहेगी। किसी भी प्रकार की जानकारी एवं संपत्ति के निरीक्षण के लिए **इच्छुक बोलीदाता अधिकृत अधिकारी श्री विपुल कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक, CH बैंक, मोबाइल नंबर 7541817044** पर संपर्क कर सकते हैं।
7. संपत्ति का विक्रय आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं किया जाएगा।
8. बोलीदाता द्वारा अपनी बोली में प्रत्येक वृद्धि रुपये 1,00,000/– (रुपये एक लाख मात्र) ((प्रत्येक लॉट के लिए अलग–अलग)के गुणक में की जाएगी।
9. संपत्ति का विक्रय **"जहाँ है जैसी है" तथा "जो है जैसा है"** के आधार पर किया जाएगा।
10. बोली स्वीकृत होने पर, सफल बोलीदाता को बैंकनेट पोर्टल के माध्यम से पूर्व में जमा की गई बयाना धनराशि का समायोजन करने के उपरांत विक्रय मूल्य का 25% डिमांड ड्राफ्ट/भुगतान आदेश के माध्यम से वसूली अधिकारी–।।, ऋण वसूली अधिकरण–।।, दिल्ली के पक्ष में अदा करना होगा, जिसे अगले दिन अर्थात् **अपराह्न 4:00** बजे तक सीलबंद लिफाफे में वसूली अधिकारी–।।, ऋण वसूली अधिकरण–।।, दिल्ली के समक्ष जमा करना होगा।
11. उच्चतम सफल बोलीदाता संपत्ति के विक्रय की तिथि से 15वें दिन तक अथवा उससे पूर्व अंतिम बोली राशि का शेष 75% जमा करेगा। यदि 15वें दिन रविवार अथवा अन्य अवकाश का दिन हो, तो 15वें दिन के पश्चात् प्रथम बैंक कार्यदिवस पर, उपर्युक्त अनुच्छेद में वर्णित निर्धारित विधि से उक्त राशि जमा करेगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त, क्रेता वसूली अधिकारी–।।, ऋण वसूली अधिकरण–।। के समक्ष पाउंडेज शुल्क भी जमा करेगा, जो रु.1,000/– तक की राशि पर @2% तथा रु.1,000/– से अधिक की राशि पर अतिरिक्त राशि का @1% होगा, जो रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण–।।, दिल्ली के पक्ष में मांग ड्राफ्ट के माध्यम से उपर्युक्त अनुसार 15 दिनों की अवधि के भीतर जमा किया जाएगा।
12. उपरोक्त समयावधि में भुगतान ना करने पर, उक्त संपत्ति की पुनः बिक्री नई उद्घोषणा जारी करके की जाएगी। उस स्थिति में चूककर्ता क्रेता के द्वारा जमा राशि को अधोहस्ताक्षरकर्ता यदि उचित समझता है तो विक्रय के खर्चे समायोजित किये जाने के पश्चात सरकारी खाते में जब्त कर ली जायेगी एवं उस स्थिति में चूककर्ता क्रेता के उक्त संपत्ति के संबंध में या राशि के किसी भाग के संबंध में प्राप्त समस्त अधिकार जब्त हो जायेंगे।
13. वसूली अधिकारी, आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, विक्रय की पुष्टि करने से इंकार करने अथवा किसी भी समय ई–नीलामी को स्थगित या निरस्त करने की वैधानिक शक्ति सुरक्षित रखते हैं। इस शक्ति के प्रयोग पर ई–नीलामी के संचालन से बैंकनेट पोर्टल अथवा सीएच बैंक द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और न ही यह शक्ति किसी प्रकार से सीमित होगी।
14. असफल बोलीदाता/बोलीदाताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी बयाना धनराशि की वापसी हेतु अपनी पहचान प्रमाण के साथ आवेदन, वसूली प्रमाणपत्र की नियत सुनवाई तिथि अथवा उससे पूर्व, ऋण वसूली अधिकरण–।। के रजिस्ट्री में प्रस्तुत करें, जिसके उपरांत उनकी बयाना धनराशि वसूली प्रमाणपत्र की नियत अथवा तत्पश्चात की सुनवाई तिथि पर तदनुसार वापस कर दी जाएगी।
15. इस चरण पर अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में उक्त संपत्तियों के संबंध में राजस्व, भार या किसी अन्य दावे का कोई अन्य विवरण उपलब्ध नहीं है। तथापि, संभावित बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बयाना धनराशि जमा करने से पूर्व अपने हित में विद्युत, जल, गृहकर के बकाया बिलों अथवा किसी अन्य भार आदि के संबंध में स्वयं समुचित जांच–पड़ताल कर लें।
16. प्रमाणपत्रधारी बैंक को निर्देशित किया जाता है कि वह ई–नीलामी सूचना का प्रकाशन अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा में ऐसे समाचार पत्रों में कराए जिनका संबंधित क्षेत्र में व्यापक प्रसार हो अथवा जिस क्षेत्र में संपत्ति स्थित है तथा प्रमाणपत्र देनदार निवास करते हैं या आजीविका अर्जित करते हैं, वहां पर्याप्त प्रसार हो। प्रमाणपत्रधारी बैंक नीलामी की तिथि तक पर्चे वितरित कराकर, ढुग्गी पिटवाकर आदि के माध्यम से भी व्यापक प्रचार–प्रसार करेगा तथा इसकी प्रतिवेदन इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
17. प्रमाणपत्रधारी बैंक को निर्देशित किया जाता है कि वह उपर्युक्त अनुच्छेदों में वर्णित तथ्यों की सत्यता का प्रमाणीकरण करे तथा यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि नीलामी प्रक्रिया निर्बाध एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न हो, उनकी बैंकनेट पोर्टल के नियम एवं शर्तों के साथ संगति का पुनः सत्यापन करे।
18. इस नीलामी प्रक्रिया के दौरान बैंकनेट पोर्टल द्वारा प्राप्त कोई भी धनराशि, चाहे वह बयाना धनराशि के रूप में हो अथवा किसी अन्य रूप में, वसूली अधिकारी के स्पष्ट लिखित आदेश के बिना किसी भी बोलीदाता अथवा किसी अन्य व्यक्ति को वापस नहीं की जाएगी। प्रमाणपत्रधारी बैंक को निर्देशित किया जाता है कि वह इस प्रतिबंध की सूचना बैंकनेट के संबंधित अधिकारियों को दे तथा यह सुनिश्चित करे कि पोर्टल को इस प्रकार विन्यस्त किया जाए कि वसूली अधिकारी के पूर्व प्राधिकरण के बिना पोर्टल स्तर पर किसी भी धनराशि की वापसी या धनयापसी की प्रक्रिया न की जाए।

संपत्ति की अनुसूची

| बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण | सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर राजस्व जिसका मूल्यांकन किया गया है | किसी भी प्रकार के भार का विवरण जिसके लिए सम्पत्ति उत्तरदायी है | विवाद अगर कोई है जो कि सम्पत्ति के सम्बंध में आगे आया है एवं अन्य कोई ज्ञात विशिष्टियां जोकि इसके मूल्य एवं प्रकृति प